ायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

ठासीन अधिकारी :– बंशीधर योगी, आर.ए.एस.

कदमा नम्बर 225 / 2024 प्रार्थनापत्र

01. मांगी लाल पुत्र श्री कनीराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) –– प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

–– विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 129, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन –अधिवक्ता प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–विपक्षी

दिनांक–09.07.2024

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने धारा 129, 131, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि सरहद धुंवाला (क) पटवार हल्का धुंवाला (क) भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 3394/4 रकबा 1.5555 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4007/4 रकबा 1.5176 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3394/512 रकबा 1.8970 हैक्टयर भूमि जो राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के नाम पर दर्ज हुई है। प्रार्थी की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 02 दो मे वर्णित आराजीयात जो कि लठ्ठाशीट एवं मोमीया ट्रेस मे तरमीम है, उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। मुझ प्रार्थी द्वारा हाल ही मे राजस्व रेकार्ड व नक्शे का अवलोकन किया तो जानकारी मे आया कि प्रार्थी की उक्त आराजियात जो कि ऑनलाईन नक्शे मे मोमीया शीट व लट्टाशीट मे तरमीम है, उस अनुसार तरमीम नही कर गलत तरमीम कर दी है। इस कारण से उक्त आराजियात को लट्टाशीट व मोमीया शीट अनुसार तरमीम कराया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा उक्त संबध मे पटवार हल्का व विपक्षी को उक्त आराजीयात को प्रार्थी के मौके पर कब्जे अनुसार एवं लट्टा शीट व मोमीया शीट के अनुसार तरमीम करने हेतु निवेदन किया, जिस पर विपक्षी द्वारा सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने आदेश लाने की बात कही गयी। न्यायहित मे गलत तरमीम को दुरूस्त कर कब्जे अनुसार तरमीम करायी जाना आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व विपक्षी को नोटिस जारी किया गया व विपक्षी द्वारा मय जवाब मौका रिपोर्ट पेश की गयी। जिसे शामिल पत्रावली की गयी।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए लट्ठा शीट अनुसार ऑन लाईन नक्शे मे तरमीम हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं दस्तावेजात रेकार्ड का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट अनुसार ऑनलाईन तरमीम एंव लट्टा नक्शा शीट मे तफावट पायी गयी व ऑनलाईन नक्शा शीट आराजी नम्बर 3394/512 की दक्षिणी भुजा को इसी नक्शे मे ओर उक्त आराजी के समीपस्त मुश्तकील बिन्दु चाह आराजी नम्बर 69 है, जिसे दूरी नापने पर लट्टा नक्शा के मुकाबले 18 मीटर कम आती है, जो दो शीटो के मिलान सही

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

ही होने की वजह से आती है, इस ऑनलाईन नक्शे से माप करने पर प्रार्थी का कब्जा परिवर्तित होता है, लट्ठा नक्शा के मुकाबले ऑन लाईन नक्शे को करने के लिए आराजियात की उत्तरी बाउण्डरी जो नक्शे के भी है को 18 मीटर उत्तर की ओर खिसकाने से लट्ठा नक्शा के मुताबिक आराजी नम्बर 3394/512 की तरमीम ओर मौके पर माप सही हो पायेगा। इसी प्रकार आराजी नम्बर 3394/4 का दक्षिणी पूर्वी कोना चाह आराजी नम्बर 69 से ऑनलाईन शीट मे माप करने लटठा नक्शा के मुकाबले 8 मीटर कम आता है, जिसे उत्तर की पूरी लाईन बढाने पर लट्ठा के मुकाबले तरमीम हो पायेगी। अतः लट्ठा शीट अनुसार ऑनलाईन नक्शे मे तरमीम नही होना व ऑन लाईन नक्शे मे गलत तरमीम होना प्रथमदृष्टया स्पष्टतया प्रतीत होता है। अतः पटवार हल्का के मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि ऑनलाईन नक्शे मे लट्ठा शीट अनुसार तरमीम नही होने से पटवार हल्का के मौका रिपोर्ट व संलग्न नक्शे अनुसार तरमीम होने पक्षकारो के हितो पर विपरीत प्रभाव नही पडेगा। अतः मौका रिपोर्ट मे वर्णितानुसार तरमीम करवाया जाना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर सरहद धुंवाला (क) पटवार हल्का धुंवाला (क) भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 3394/4 रकबा 1.5555 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4007/4 रकबा 1.5176 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3394/512 रकबा 1.8970 हैक्टयर को लट्ठा शीट नक्शा अनुसार ऑनलाईन राजस्व नक्शे मे पटवार हल्का मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे अनुसार लट्ठा नक्शा के मुकाबले ऑन लाईन नक्शे को करने के लिए आराजियात की उत्तरी बाउण्डरी जो नक्शे के भी है को 18 मीटर उत्तर की ओर खिसकाकर लट्ठा नक्शा के मुताबिक आराजी नम्बर 3394/512 की तरमीम ओर मौके पर माप सही अनुसार तरमीम की जावे इसी प्रकार आराजी नम्बर 3394/4 का दक्षिणी पूर्वी कोना चाह आराजी नम्बर 69 से ऑनलाईन शीट मे माप करने लटठा नक्शा के मुकाबले 8 मीटर कम आता है, जिसे उत्तर की पूरी लाईन बढाकर लट्ठा के मुकाबले प्रार्थी की आराजी नम्बर 3394/4 रकबा 1.5555 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4007/4 रकबा 1.5176 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3394/512 रकबा 1.8970 हैक्टयर को तरमीम की जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर मय पटवार हल्का नक्शा जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। मौका नक्शा की प्रति संलग्न है।

यह निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बन्शी धर योगी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)